



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 श्रावण 1943 (श10)
(सं० पटना 639) पटना, मंगलवार, 27 जुलाई 2021

बिहार विधान सभा सचिवालय

vf/k l puk
27 जुलाई 2021

सं० वि०सं०वि०-18/2021-2462/वि०सं० ।— “बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 27 जुलाई, 2021 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूदेव राय,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०-15/2021]

बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम, 6, 2006) का संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत-गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-

- (1) यह अधिनियम बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम सं० 11, 2007) या कन्टोन्मेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम ii, 1924) के उपबंध लागू हैं।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 14 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (4) के बाद निम्न नई उप-धारा (5) जोड़ी जायेगी :-

“(5) धारा 14 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह ग्राम पंचायत भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ग्राम पंचायत में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन, ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।”

3. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 39 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (4) के बाद निम्न नई उप-धारा (5) जोड़ी जायेगी :-

“(5) धारा 39 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी पंचायत समिति का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह पंचायत समिति भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पंचायत समिति में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन, ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।”

4. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 60 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को नियुक्त करेगी।”

5. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 66 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (4) के बाद निम्न नई उप-धारा (5) जोड़ी जायेगी :-

“(5) धारा 66 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी जिला परिषद् का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह जिला परिषद् भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जिला परिषद् में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन, ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।”

6. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 87 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव अथवा उससे अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अनन्य रूप से जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। सरकार किसी जिला परिषद् के लिए यथाविहित बंधेजों एवं शर्तों पर एक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।”

7. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (अधिनियम 6, 2006) की धारा 92 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (3) के बाद निम्न नई उप-धारा (4) जोड़ी जायेगी :-

“धारा 92 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट पांच वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी ग्राम कचहरी का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो, तो उक्त अवधि के अवसान पर वह ग्राम कचहरी भंग हो जायेगी और इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ग्राम कचहरी में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन ऐसी परामर्शी समिति द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त गठित करे।”

8. निरसन एवं व्यावृत्ति।—

- (1) बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (बिहार अध्यादेश—03, 2021) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों की पांच वर्षों की विहित कार्यावधि समाप्त हो जाने के पूर्व किसी कारण से इन संस्थाओं का चुनाव नहीं कराये जा सकने के कारण उक्त संस्थाओं के कार्य संचालन हेतु उनका चुनाव होने तक की अवधि के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 14, 39, 66 एवं 92 में संशोधन कर संबंधित प्रत्येक संस्था के स्तर पर सरकार द्वारा परामर्शी समितियों का गठन किया जा रहा है।

2. बिहार पंचायत राज अधिनियम की धारा 60 में संशोधन कर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्थान पर पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किया जा रहा है, ताकि पंचायत समिति का कार्य संचालन सम्यक रूप से सम्पादित हो तथा विकास कार्यों में गतिशीलता आ सके।

3. बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 87 में संशोधन कर बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव से अन्यून पदाधिकारी को अनन्य रूप से जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, ताकि जिला परिषद् को पूर्णकालिक रूप से मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी प्राप्त हो सके।

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 14, 39, 60, 66, 87 एवं 92 में संशोधन हेतु इस विधेयक को अधिनियमित करना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

सम्राट चौधरी,
भारसाधक सदस्य।

पटना
दिनांक—27.07.2021

भूदेव राय,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 639-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>